Memorandum of Understanding
between
The Ministry of Youth Affairs & Sports of
The Government of the Republic of India
and
The Ministry of Health, Welfare and Sport of
The Government of the Kingdom of the Netherlands
on
Technical Cooperation in the field of
Sports Infrastructure

The Ministry of Youth Affairs and Sports of the Government of the Republic of India and the Ministry of Health, Welfare and Sport of the Netherlands (hereinafter referred to as 'the Parties'):

Taking into consideration the importance of sports as a medium for the development of mutual understanding and interface amongst the people of both the countries.

Recalling that India has the ambition to host future global sports events;

Recognizing that India aims to create a lasting legacy with the development of its sports infrastructure for promoting sports, commerce, culture, education and other allied areas.

Highlighting that India has the ambition to invest in innovative and sustainable concepts;

Taking into account that the Netherlands has many experienced public and private organizations that offer innovative and sustainable concepts in, among other fields, Sports Excellence, City Planning & Infrastructure, Transport & Logistics, Stadiums & Architecture and Public Safety & Crowd Management;

Acknowledging that India is actively looking to create strategic partnership with other countries for the development and renovation of its sports infrastructure;

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

ARTICLE 1: Objectives and Principles

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to strengthen the collaboration between the two countries on the basis of equivalence and mutual benefit, taking into account the practical needs of both countries.

ARTICLE 2: Executive Bodies

The executive bodies for implementing the provisions of this MoU shall be:

(a) On the Indian Side: the Ministry of Youth Affairs and Sports.

(b) On the Netherlands' Side: the Ministry of Health, Welfare and Sport.

ARTICLE 3: Areas of cooperation

Broad areas of mutual cooperation between the parties shall be:

(a) The exchange of knowledge and experience in the fields of

- Sports Management (sports competitions)
- Competition infrastructure setup
- Coaching, training systems, training of referees for various sports disciplines
- Top-sport development through youth academies

(b) Innovative Sports infrastructure development and management including:

- Financial development
- Spatial area development
- Planning of sports infrastructure and facilities
- Designing of sports infrastructure and facilities
- Exploitation of resources etc.
- Management training
- Safety and Security

(c) The areas of cooperation for immediate execution shall include specific projects, as below:

- Feasibility study or Detailed Project Report on the area development and resource exploitation possibilities around one major Stadium in Delhi.
- Feasibility study on the development and management of turnkey indoor sporting units, to increase broad access to sporting facilities nationwide, and exploring the possibility of opening a pilot unit of the same.

ARTICLE 4: Methods of Cooperation

The Parties shall encourage cooperation in the fields covered under this MoU and shall also facilitate the development of cooperation and partnerships between the public and private organizations, institutions and individual companies in their respective countries involved in fields covered under this MoU.

ARTICLE 5: Implementation

(a) The Parties or representatives so authorized, shall try to meet at least once a year to discuss the progress of the cooperation, actions and execution of specific projects.

(b) The Parties shall decide on a case-to-case basis on the participation of various public as well as private institutions in implementing the provisions of this MoU.

(c) The Parties may broaden the scope of cooperation on terms agreed upon by them in writing.

(d) The Parties shall decide on a case-to-case basis on the sharing of costs of the projects under the MoU.

(e) The Parties shall actively work together with the private sector in their respective countries to enhance, broaden, and intensify cooperation in all fields covered under this MoU.

(f) The Parties shall keep each other well-informed of their respective programs and the progress made, with respect to activities undertaken in this MoU.

ARTICLE 6: Entry into Force, Renewal and Termination, Amendment and Dispute Settlement

(a) This MoU shall come into effect from the date of its signature by the authorized representatives of the Parties.

(b) This MoU shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed thereafter for successive five-year periods, unless terminated by either party at any time on giving at least a month's advance notice in writing.

(c) This MoU may be amended, at any time, by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall come into effect from such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.

(d) Any dispute arising out of the interpretation and implementation of this MoU shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.

In Witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MoU.

Signed in New Delhi, on this 30th January of 2014, in two originals each, in English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation or translation, the English text shall prevail.

For the Ministry of Youth Affairs and Sports of the Republic of India

Name : Jitendra Singh

Designation : Minister of State for Youth Affairs & Sports (Independent Charge)

For the Ministry of Health, Welfare and Sports of the Kingdom of the Netherlands

Name : Ms. Edith I. Schippers

Designation: Health, Welfare and Sports Minister

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
भारतीय गणतंत्र की सरकार
तथा
स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय
नीदरलैंड किंगडम की सरकार
के बीच
खेल अवसंरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग
पर
समझौता ज्ञापन

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय गणतंत्र की सरकार तथा स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय,नीदरलैंड किंगडम की सरकार ने (इसमें आगे इन्हें "पक्षों" के रूप में उल्लिखित किया गया है):

दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ-बूझ के विकास के एक माध्यम और कड़ी के रूप में खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए,

यह स्मरण करते हुए कि भारत की आगामी विश्व खेल प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी करने की उच्चाकांक्षा है,

इस बात के महत्व को समझते हुए कि भारत का उद्देश्य खेल, वाणिज्य, संस्कृति, शिक्षा तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए खेल अवसंरचना का विकास करके अपनी स्थायी विरासत का सृजन करना है,

इस बात पर बल देते हुए कि भारत की उच्चाकांक्षा अभिनव और स्थायी संकल्पनाओं का सृजन करना है,

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीदरलैंड में अन्य क्षेत्रों सहित खेल उत्कृष्टता, नगर योजना एवं अवसंरचना, परिवहन एवं संभारतंत्र, स्टेडियम एवं वास्तुकला और जन सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन में अभिनव और स्थायी संकल्पनाएं प्रदान करने वाले कई अनुभवी सरकारी और प्राइवेट संगठन हैं,

इस बात को स्वीकार करते हुए कि भारत अपनी खेल अवसंरचना के विकास और नवीनीकरण के लिए अन्य देशों के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है,

निम्नलिखित समझौता किया है:-

अनुच्छेद 1: उद्देश्य और सिद्धान्त

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

अनुच्छेद 2: कार्यकारी निकाय

इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कार्यकारी निकाय होंगे:

(क) भारतीय पक्ष से : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(ख) नीदरलैंड पक्ष से : स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय

अनुच्छेद 3: सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहयोग के मुख्य क्षेत्र होंगे:

(क) निम्नलिखित क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान :

- खेल प्रबंधन (खेल प्रतियोगिताएं)
- प्रतियोगिता अवसंरचना व्यवस्था
- विभिन्न खेल विधाओं के लिए कोचिंग, प्रशिक्षण व्यवस्था, रेफरियों का प्रशिक्षण
- युवा अकादमियों के माध्यम से मुख्य खेलों का विकास

(ख) अभिनव खेल अवसंरचना का विकास और प्रबंधन जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- वित्तीय विकास
- स्थानिक क्षेत्र विकास
- खेल अवसंरचना की योजना और सुविधाएं
- खेल अवसंरचना का अभिकल्पन और सुविधाएं
- संसाधनों आदि का उपयोग
- प्रबंधन प्रशिक्षण
- सुरक्षा और संरक्षा

(ग) सहयोग के क्षेत्र में त्वरित कार्यनिष्पादन के अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट परियोजनाएं सम्मिलित होंगी :

- दिल्ली में एक मुख्य स्टेडियम के आस-पास क्षेत्र विकास और संसाधन उपयोग की संभावनाओं पर व्यावहारिक अध्ययन या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ।

- खेल सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी पहुंच बढ़ाने और इसके लिए एक पायलट यूनिट शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सुसज्जित इंडोर खेल यूनिटों के विकास और प्रबंधन पर व्यावहारिक अध्ययन ।

अनुच्छेद 4: सहयोग के तरीके

दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे और इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से जुड़े सरकारी और प्राइवेट संगठनों, संस्थानों और वैयक्तिक संगठनों के बीच उनसे संबंधित देशों में सहयोग और भागीदारी के विकास को भी बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 5: कार्यान्वयन

(क) दोनों पक्ष या उनके प्रतिनिधि सहयोग की प्रगति, विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यों और कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक करने का प्रयास करेंगे।

(ख) दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के उपबंधों के कार्यान्वयन में विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संस्थानों की भागीदारी पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय करेंगे।

(ग) दोनों पक्ष उनके द्वारा लिखित में सहमति की शर्तों पर सहयोग के क्षेत्र का दायरा बढ़ा सकते हैं।

(घ) दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत का वहन करने के लिए मामला दर मामला आधार पर निर्णय करेंगे।

(ङ.) दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने, दायरा बढ़ाने और प्रगाढ़ करने के लिए अपने-अपने देशों में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य करेंगे।

(च) दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों के संबंध में अपने-अपने कार्यक्रमों और इस सबंध में हुई प्रगति के बारे में एक दूसरे को पूरी जानकारी देंगे।

अनुच्छेद 6: प्रभाव में आना, नवीनीकरण और पर्यावसान, संशोधन और विवाद समाधान

(क) यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर की तारीख से प्रभाव में आएगा ।

(ख) यह समझौता ज्ञापन पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा और उसके बाद अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वत: ही नवीनीकृत हो जाएगा, बशर्ते कि इसे किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय कम से कम एक महीना पहले लिखित में नोटिस देकर समाप्त न किया जाए।

(ग) यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों की परस्पर लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है। ये संशोधन उस तारीख, जो दोनों पक्षों द्वारा निश्चित की जाए, से प्रभाव में आएंगे और इस समझौता ज्ञापन के अभिन्न भाग होंगे ।

(घ) दोनों पक्षों के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को परामर्श और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

संबंधित सरकारों द्वारा इसके साक्षी के रूप में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में दिनांक 30 जनवरी, 2014 को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक में मूल पाठों में हस्ताक्षरित। दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक । इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या के संबंध में कोई भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

भारतीय गणतंत्र सरकार के लिए

नाम: जितेन्द्र सिंह

पदनाम : युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय

नीदरलैंड किंगडम की सरकार के लिए

नाम: सुश्री एडिथ आई. सिपर्स

पदनाम :स्वास्थ्य, कल्याण और खेलमंत्री